



2026:AHC-LKO:1004-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 222/2023

पराग राम

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायत राज विभाग, सिविल सचिवालय,
लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – करुणाकर श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

- यह जनहित याचिका ग्राम पंचायत- निगवा बोध, ब्लॉक- पंडारी कृपाल, जिला- गोंडा में ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्ति के लिए परमादेश की मांग करते हुए दायर की गई थी।
- अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा दुबे को जिला मजिस्ट्रेट, गोंडा से प्राप्त निर्देश के अनुसार, उक्त ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ष 2023 के लिए इस उद्देश्य हेतु आवंटित बजट अन्य ग्राम पंचायतों में ऐसी नियुक्तियां करने में पहले ही समाप्त हो चुका है।
- याचिकाकर्ता की ओर से इस जनहित याचिका पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है, संभवतः समय बीतने के साथ हेतुक अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है।
- तदनुसार, जनहित याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

7 जनवरी, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।